भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1338

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नाहन में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण

1338. श्री सुरेश कश्यप:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन के भवन का निर्माण कार्य एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है जिसके कारण प्रशिक्षु चिकित्सकों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य को रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सम्बद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा निधि के साथ ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। स्कीम के तहत, तीन चरणों में सभी 157 मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर और नाहन में तीन मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। ये सभी तीन मेडिकल कॉलेज कार्यशील बन गए हैं।

सरकारी मेडिकल कॉलेज, नाहन को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में 189 करोड़ रु. की लागत की साझा निधि पर वर्ष 2015 में स्कीम के चरण-I के तहत अनुमोदित किया गया था। हिमाचल प्रदेश को 170.10 करोड़ रु. की संपूर्ण केंद्रीय हिस्से की राशि जारी की गई है। इस स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीम के तहत अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों की योजना, कार्य निष्पादन और प्रचालन शुरू करने संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा किए जाने होते हैं।

*****